संख्या-17/2015/330/74-2015-24(ब)/2014

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग — लखनऊ:: दिनांक 14 मई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत-13 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-09/सेरी0/लेखा0/आयो0 बजट/2015-16, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत-13 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 4400 हजार (रूपए चौवालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन संहर्ष प्रदान करते है :-

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत
13 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन

(धनराशि हजार रू0 में)

मद सं0	मद का नाम	वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति
02	मजदूरी	1500
08	कार्यालय व्यय	50
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	300
29	अनुरक्षण	300
42	अन्य व्यय	700
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	1500
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50
	योग	4400

(रूपए चौवालिस लाख मात्र)

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राअधिकारी नहीं देता है। जिन मामालों में उ0 प्र0 बजट मैनुउल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमो का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनरशि का व्यय नियोजन विभाग द्वारा योजनान्तर्गत आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे शासन को विलम्बतम 15 मार्च, 2016 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलबध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यो हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिए गए शर्तो/नियमों के अनुसार किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत-13 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन एरी रेशम विकास योजना की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1)/74-2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश वेबसाईट पर लोड कर दें।
(10) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in